आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 75/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डसिंड इक्वीपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि. (एचडीएफसी लि.), सी–25, भगवानदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी–स्कीम जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती नाथा देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान प्रजापत
2. श्रीमती नथुरा देवी माता स्व. श्री हनुमान प्रजापत
3. पायल प्रजापत जरिये माता श्रीमती नाथा देवी (पुत्री स्व. श्री हनुमान प्रजापत)
4. केशव प्रजापत जरिये माता श्रीमती नाथा देवी (पुत्र स्व. श्री हनुमान प्रजापत)
5. अंजलि प्रजापत जरिये माता श्रीमती नाथा देवी (पुत्री स्व. श्री हनुमान प्रजापत)

(विधिक वारिसान स्व. श्री हनुमान प्रजापत पुत्र श्री जगदीश प्रजापत)

पता :– ई–10, करधनी रेजीडेन्शियल स्कीम, बक्तावाला, जेडीए कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

An application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री मयंनी सिंह नत्तका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

आदेश दिनांक: 21.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री हनुमान प्रजापत के स्वामित्व की सम्पत्ति ई–10, करधनी रेजीडेन्शियल स्कीम, बक्तावाला, जेडीए कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 26.05.2017 को राशि 20,00,000/–रूपये एवं दिनांक 07.06.2017 को राशि 18,50,000/–रूपये कुल राशि 38,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने एंव प्रार्थी हनुमान प्रजापत के फौत होने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी हनुमान प्रजापत के विधिक वारीसान को दिनांक 14.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि सय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रवि शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर जवाब–बहस हेतु अवसर चाहा।

3. उभय पक्ष सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ने जबाब–बहस हेतु समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस मे निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल राशि 38,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 20,96,954/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी हनुमान प्रजापत के विधिक वारीसान को दिनांक 14.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे अप्रार्थी स्व. श्री हनुमान प्रजापत एवं उनके विधिक वारीसान के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ई–10, करधनी रेजीडेन्शियल स्कीम, बक्सावाला, जेडीए कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर